

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024 283/2024


दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 283/2024 अन्वयान रणजीत सिंह पिता लादु मीणा निवासी गोरमगढ बनाम आत्माराम पिता भीणा निवासी गोरमगढ, किशोरी पत्नि गिरधारी मीणा निवासी गोरमगढ, बनवारी पिता महादेव मीणा निवासी गोरमगढ, राकेश पिता महादेव मीणा निवासी गोरमगढ, लखमा पिता खाना मीणा निवासी गोरमगढ, श्रवण पिता ज्वारा मीणा निवासी गोरमगढ, सोजी पिता ज्वारा मीणा निवासी गोरमगढ, सुरेश पिता प्रभु मीणा निवासी गोरमगढ, सारोज पिता प्रभु मीणा निवासी गोरमगढ, दाकी पत्नि भेंवर लाल मीणा निवासी गोरमगढ, तहसीलदार जहाजपुर दगौरह वी पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम गोरमगढ प.ह. गाडोली आराजी सं. 531, 532, 534 कुल कित्ता 03 एकबा 0.8013 हैक्टयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 500 रूपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रणजीत सिंह पिता लादु मीणा निवासी गोरमगढ
बनाम

आत्माराम पिता मीणा निवासी गोरमगढ, वगैरह

मुकदमा नंबर 223/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
की तामील में
जारी हुये

तारीख हुकम

13/05/2024

प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम गोरमगढ प.ह. गाडोली आराजी सं. 531, 532, 534 कुल किता 03 रकबा 0.8013 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम गोरमगढ प.ह. गाडोली आराजी सं. 531, 532, 534 कुल किता 03 रकबा 0.8013 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा